

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(ए-282)अलेसे-1/3315

दिनांक:- 22-03-2024

**आदेश**

श्री अशोक कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंग नं0-4532) कार्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री अशोक कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंग नं0 4532) का नाम परिवर्तित कर, "अशोक कुमार" के स्थान पर "अशोक कुमार गुप्ता" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(ए-282)अलेसे-1/3316-3321

दिनांक:- 22-03-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11/111), कार्यालय हाजा।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
3. श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एपीएआर अनुभाग/डीपीसी अनुभाग।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
6278943

Document certified by Bhupesh Mathur  
<mathurbhupesh@gmail.com>

Digitally Signed by Bhupesh  
Kumar Mathur  
Designation: Director  
Date :22-03-2024 05:39:12